पटना समाहरणालय, पटना
(विधि शाखा)
आदेश

अगमकुऑ रसीदा चक, शिक्षक कॉलोनी में आम रास्ता को अवरूद्ध करने के संबंध में श्री हरिहर चौधरी एवं अन्य आम जनता शिक्षक कॉलोनी अगमकुऑ,पटना के अभ्यावेदन में वर्णित समस्या के समाधान हेतु समीक्षोपरान्त निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

1. प्रासंगित दिनांक 11.04.13 के अभ्यावेदन में समस्या के रूप में वर्णित मुख्य बिन्दु श्री असलम खॉ द्वारा गैरेज खोलकर रास्ता के अवरूद्ध किए जाने एवं गैरमजरूआ आम जमीन को कब्जा करने के संबंध में है।
2. अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, पटना सदर द्वारा जांच में पाया गया है कि विषयगत स्थल थाना नं0-16 खाता सं0 44 खेसरा सं0 546 रकवा 0.08 डिसमिल गैर मजरूआ आम परती कदीम भूमि है।
3. अभ्यावेदन मे वर्णित है कि जिला समाहर्त्ता के पत्रांक 1200/रा0दिनांक 31.03.06 के आलोक में उक्त स्थल पर पहूंच पथ निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।
4. अभ्यावेदन में वर्णित शिक्षक कॉलोनी के रास्ते के अतिक्रमण को अंचल अधिकारी, पटना सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए यथा शीघ्र हटाने का कार्य करेंगे तथा प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। थाना प्रभारी, बाईपास/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना सदर अतिक्रमण हटाने में आवश्यक सहयोग करेंगे।
5. अभ्यावेदन मे वणित भूमि खाता-44 खेसरा 546 रकवा 08 डिसमिल के अभिलेखों की जांच अंचल अधिकारी अपने स्तर से करेगें। यदि जांच में पायाजाता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ परती कदीम है तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे एवं प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही अतिक्रमित भूमि की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
6. श्री असलम खॉ द्वारा सडक पर गाडी एवं टेम्पू लगाकर गाड़ी की बाडी का निर्माण कराया जाता है। इससे आवागमन बाधित होता है एवं ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। इसके समाधान हेतु मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत भारी शास्ति के साथ अन्य कड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम कृतकारियों द्वारा की जाएगी। ऐसे मामले में स्थानीय थाना द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, नगर इस क्षेत्र में नियमित जांच/गश्ती की व्यवस्था सुनिश्वित करेंगे।

अतः इस रूप में दिनांक 11.04.2013 मे दिए गए अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है सभी संबंधित को इसकी सूचना तत्कालन दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XXXI-1/13- 544 /दिनांक 10/5/13

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक,यातायात (पटना)/नगर पुलिस अधीक्षक,पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी,पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी/पटना सदर/अंचल अधिकारी, पटना सदर/थानाध्यक्ष, बाईपास थाना/श्री हरिहर चौधरी, मो0- रसीदा चक, शिक्षक कॉलोनी, अगमकुआं, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग,पटना को उनके पत्रांक ए-1021 दिनांक 16.04.13 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।

E:\LEGAL SECTION-2013\LETTER\MAY\LEGAL_Letter.doc